11.12.25

पत्रावली देखा गया। वादी वकील उपस्थित है। वादी वकील की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद पत्र में वर्णित हिस्से के सम्बन्ध में अस्पष्टता तथा तथ्यों के अभाव में खारिज एवं प्रस्तुत वाद पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-188 RTA पत्रावली में प्रस्तुत किये गये वाद पत्र में वर्णित हिस्से के सम्बन्ध में अस्पष्टता तथा तथ्यों के अभाव में अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जावे। इस संबंध में किया गया पत्रावली पेश हुआ होकर मन्तव्य के साथ हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर